>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mukul Roy on the 17th May, 2012 namely:-

> "That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Kamal Kishor 'Commando' to speak.

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेलवे सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल मंत्री जी जो इस विधेयक को लाए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस पर कुछ बोलने से पहले कहना चाहूंगा कि इससे पहले जब ममता दीदी रेल मंत्री थीं, वे रेलवे के लिए तमाम प्रकार के प्रोजैक्ट लाई थीं। अगर हम उन्हीं प्रोजैक्ट्स पर चर्चा करें, तो शायद इस देश में रेलवे की जमीनों पर उससे बेहतर कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि रेलवे की जितनी खाली जमीनें हैं वहां अस्पताल बनाए जा सकते हैं, उन्हें किसी को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत देकर तमाम प्रकार के बिजनस शुरू किए जा सकते हैं। उन जमीनों का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब रेलवे का सम्पर्क सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से होगा, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं है। कहना आसान है लेकिन इसे करने के लिए बहुत ऐफर्ट्स करने होंगे। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारत के कोने-कोने में रेलवे की जमीनें खाली हैं, रेलवे के पास सबसे ज्यादा खाली जमीनें हैं, रेलवे की जमीनें बहुत अच्छे शहरों के नजदीक हैं। वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल-कूद के लिए स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। मैं सबसे पहले यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस अमैंडमैंट से पहले इस पर पुन: विचार होना चाहिए। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि भारत में रेलवे की जितनी जमीनें खाली हैं, उनमें विद्यालय, अस्पताल आदि तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। हम यह भी कहेंगे कि जो बड़ी-बड़ी जमीनें खाली हैं, अगर उनमें उद्योग-धंधे खोले जा सकते हों, तो भारत के लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं होगी। इस देश में सबसे ज्यादा फायदा कहीं होता है, तो वह रेलवे से होता है।

मैं गोरखपुर का एक उदाहरण देता हूं। वैसे मैं बहराइच से सांसद हूं। वह नेपाल के बार्डर से लगा हुआ इलाका है। वहां नानपारा की जमीन है। अगर उस जमीन पर एक अस्पताल बना दिया जाए तो नेपाल के लोग भी वहां इलाज करवाने के लिए आएंगे। इससे नुकसान नहीं होगा, बहुत वित्तीय फायदा होगा। गोंडा-बहराइच और बहराइच से नेपालगंज रोड, जो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, रेलवे लाइन का बहुत बड़ा आमान परिवर्तन हो रहा है। उस इलाके में आवागमन का एक ही साधन है। वैसे नेपाल जाने और आने के लिए दो ऐंट्री हैं। ...(व्यवधान) यह देश अपना कितना नुकसान कर रहा है, मैं वह बताना चाहता हूं। रेलवे को चाहिए कि वह खाली जमीनों में अस्पताल खोले। उन जमीनों पर अवैध कब्जा है। उसे कौन बचाएगा। उसे बचाने के लिए आरपीएफ की फोर्स सफिशिएंट नहीं हैं, because Railway is a very broad organization. इसके लिए आपको रेलवे में ज्यादा से ज्यादा आरपीएफ आदि में भर्तियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि रेल को चलाने के लिए उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है, चाहे मालगाड़ी, पैसेंजर, एक्सप्रैस या शताब्दी हो। जब तक सिक्युरिटी के जवान नहीं चढ़ते तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। कभी-कभी ऐसा होता है कि गाड़ियां जंगल में जाकर रुक जाती हैं, कभी ऐसे इलाके में रुक जाती हैं जहां पैसेंजर बिल्कुल घबराए रहते हैं। वहां इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। मैं फोर्स में अफसर रहा हूं। I know each and every stage. I have seen each and every situation at that time. This is very important. किसी चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इस देश में काम पहले कर दिया जाता है और सुरक्षा की बात बाद में की जाती है। इसलिए इस देश की सबसे ज्यादा क्षति हो रही है।

पहले हमें सोचना है कि हम जो अगला कदम उठा रहे हैं, वह सही है या नहीं? रेलवे में सिक्योरिटी की व्यवस्था पहले हो और जितनी जमीन रेलवे की खाली पड़ी है, रेलवे को तत्काल उसका सही उपयोग कराना चाहिए। आपके जितने बने हैं, उनमें जो लोक समितियां बनी हुई हैं, उनकी कार्ययोजना बेहतरीन है, अच्छी है, इनको जिम्मेदारी दीजिए कि जो भूमि खाली पड़ी है, उन पर जो अवैध कब्जे हैं, उनको हटाया जाए। वह कब्जा हटाने के लिए फिर आपको फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। You do not have sufficient number of personnel in the RPF. That is very important. रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। रेलवे के जो आर्गनाइजेशन्स हैं, इसकी जो फोर्सेज हैं, वे किसी भी तरह से आर्मी से कम नहीं हैं। आर्मी का जितना बड़ा रोल होता है, यहां आंतरिक सुरक्षा की बात है। RPF looks after the internal security in a way, but the Army looks after outer security. आर्मी बाहरी सुरक्षा देखती है, लेकिन पुलिस फोर्सेज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, चाहे सीपीओज को लीजिए, आरपीएफ को लीजिए, उनकी बाहरी सुरक्षा करने वालों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा जब डिस्टर्ब हो जाती है, तो बाहरी सुरक्षा काम नहीं आती है। हमेशा हमें ध्यान देना है कि इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वे सुरक्षित हैं, तो हमारी सेनाएं बाहर से हमारी सुरक्षा का काम कर सकती हैं। ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूंगा कि जो भी खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, उनका सही इस्तेमाल होना चाहिए।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, यह जो कानून सुधार के लिए लाया गया है, वह बहुत ही पुराना है। वर्तमान समय के अनुसार उसमें जो सुधार लाना चाहिए, उसको करने की कोशिश मंत्री जी ने की है, इसको मैं समर्थन देता हूं। लेकिन हमको इतना विश्वास नहीं हो रहा है कि यह संशोधन और सुधार लाने के बाद भी, आज जितनी रेलवेज सम्पत्ति पर अवैध कब्जे की बात हो रही है, इसमें कुछ कमी आएगी या रेलवेज उस पर कुछ रुकावट लगा सकेगी क्योंकि रेलवेज सम्पत्ति को चाहे वह मूवेबल हो या इममूवेबल हो, स्थावर हो या अस्थावर हो, इसको लोग समझते हैं कि अपने घर की संपत्ति है और ज्यादा से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टी का उठाकर अपने घर ले जाते हैं। हमारा एक डाक्टर फ्रेन्ड, आप जानते हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में अस्पताल में काम करता है। वहां का प्रशासक इतना हैरान हो गया था कि अस्पताल की सब चीजें लोग उठाकर ले जाते थे, उनका स्टॉफ लोग ही ज्यादा ले जाते थे। जब वह उसको सुधार नहीं पाए, तो सभी चीजों के ऊपर ऐसी मोहर लगा दिया था कि यह चीज ईसीएल से चुराकर ले आया है। इसके बावजूद भी स्टॉफ लोग उन चीजों को उठाकर ले जाते, अपने ड्राइंग रूम में वह लिनेन बिछाकर रखते थे, जिसके ऊपर मुहर लगी रहती थी कि ईसीएल से चुराकर ले आया है। रेलवेज की प्रॉपर्टी को लोग ऐसा ही समझते हैं। इस पर सख्ती होनी चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, जो ये कर नहीं सके। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ भी तालमेल करके ये चोरी, विशेषकर मूवेबल प्रॉपर्टी है, को लाया जाता है। आरपीएफ भी बहुत सारी करप्शन के साथ जुड़ी हुई है। आरपीएफ में जितनी कमी है, उनकी भर्ती जरूर करनी चाहिए, लेकिन इसको भी सुधारना चाहिए अन्यथा रेलवे सम्पत्ति पर अनलॉफुल पोजेशन को हम नहीं हटा सकेंगे।

बात यह है कि रेलवेज की जितनी ऐसी संपत्ति खाली पड़ी है, अगर कुछ खाली रह जाएगा, तो उसमें कोई जाकर बसेगा। खाली जगह ज्यादा दिन पड़ी नहीं रह सकती है। रेल मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इस प्रकार जो रेलवे की खाली जमीन पड़ी है, वहां पर अस्पताल, स्कूल्स, कल्चरल सेंटर्स या कमर्शियल काम्पलेक्स बनाएंगे और दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। इसके अलावा समिति ने जो पीपीपी माडल पर काम करने के आपको सुझाव दिए हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। रेलवे के पास जो पैसा है उससे और दूसरे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पैसा लेकर यह काम किया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा ग्राउंड केनिंगमेन, जिसे सुंदरबन का गेटवे कहा जाता है, वहां पड़ा हुआ है। मंत्री जी ने पहले कहा था कि वहां स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बनाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसे जल्दी से जल्दी बनाएं, नहीं तो उस खाली पड़ी जमीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा हो सकता है। रेल मंत्री जी को गैर कानूनी कब्ज़े में ली गई रेलवे की जमीन को वापस लेना चाहिए। लेकिन जो स्माल ट्रेडर्स हैं, वेंडर्स हैं, छोटे बिज़नेस करने वाले हैं या हॉकर्स हैं और रेलवे से जीवन निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें वहां से हटाने से पहले उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि गैर कानूनी कब्ज़े वाली जमीन को वापस लेने के लिए आप उन्हें उजाड़ दें। पहले उनके रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करें, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, फिर उन्हें वहां से हटाएं, जिससे वे लोग अपना जीवन निर्वहन करते रहें और बेरोज़गार न हों। मेरे संसदीय क्षेत्र में केनिंग है, घटियारीशरीफ तीरथ है, बरुइपुर है, मगरा हाट है, ऐसे कुछ स्टेशंस हैं, जहां ऐसी समस्या है। । यह ठीक है कि जीआरपीएफ राज्य सरकार के अधीन होती है और उस पर रेलवे की जिम्मेदारी होती है। मेरा कहना है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और यह जो डुअल रिस्पॉंसिबिलिटी की बात है, इसे खत्म करना चाहिए। कई स्टेशंस पर हम देखते हैं कि रेलवे के वैगंस यानि मालगाड़ियां खड़ी होती है, तो लोग उनसे माल चुराकर ले जाते हैं। अब इसे कौन रोकेगा, जीआरपीएफ या आरपीएफ, इस बात को लेकर इन दोनों में अक्सर झगड़ा होता है। इस पर भी रेल मंत्री जी को फैसला करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to the Members for actively participating in this discussion. ...(*Interruptions*) I have noted their constructive suggestions. We are already working on a comprehensive Bill, and we are consulting all stakeholders including the State Governments.

Members have shown their concern for security of the Railway land. Railways are engaged in a continuous exercise to protect the Railway land from encroachments by providing boundary walls, fencing, tree plantation, etc. at vulnerable locations on a programmed basis. Encroachments on Railway land are dealt with in accordance with the provisions of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (PPE Act, 1971) as amended from time to time. As a result of these efforts, there has been reduction in number of encroachments as well as areas encroached upon.

I have also noted the recommendations of the Standing Committee. Emphasis is being given towards better coordination with the State Police and GRP. Instructions have also been issued to hold regular / periodical meetings with GRP at station level, Division level and Zonal level. RPF is also holding regular coordination meeting with the concerned intelligence agencies. The Indian Penal Code recognizes only dishonest misappropriation and, therefore, we have used the same legal term in clause 3.

Some Members have raised the issue of prosecution powers being given to RPF through this amendment. Since the enactment of the RP (UP) Act in 1966, RPF has the power to conduct inquiry and submit the complaint before the court of law for prosecution, when any person is arrested or forwarded to the Force for an offence under the RP (UP) Act.

Similarly, some Members raised concerns about the term 'found'. This term already exists in the Act.

The present amendment will enable RPF to conduct inquiry even on receipt of information. Thus, RPF will continue to conduct inquiry and submit the report before the court of law for prosecution.

Apart from this, today two hon. Members, Shri Kamal Kishor and Dr. Tarun Mandal, spoke about other issues, one of which is how to protect the railway property in Gorakhpur and other important areas. This is one of the most important issues.

There exists a vast area of land. When there is so much of property, how to protect it becomes an important issue. That is why we have to give more powers to the Police. For that purpose, we have brought these amendments to the Act.

I can also understand the feelings of the Members of Parliament. Many valuable suggestions have been given by the hon. Members of Parliament. We will keep them in view and look into those things.

One of the most important things is the strength of the RPF. The total number of RPF personnel as on today is 74,000. There are about 15,000 vacancies. Applications have already been invited and received, and the process has been initiated to fill up these vacancies.

This is our programme, Mr. Deputy-Speaker, Sir. The RPF personnel have got the powers to conduct an inquiry and submit the report before the court of law. This is only a simple amendment that we have brought before the House. All the discussion has been based on the recommendations of the Standing Committee. Based on their recommendations only, we are bringing this amendment. I hope the hon. Members will pass this Bill unanimously.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Jhansi Lakshmi, you can raise only one question.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Sir, please permit me to speak from here.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I appreciate the contribution of Railways towards development of infrastructure in Andhra Pradesh. I would request the hon. Railway Minister to consider a third line between Vizianagaram - Palasa *via* the principle towns in Coastal Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a question. Please ask your question. You are not asking a question.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : I am putting the question. The survey for this line has already been sanctioned. Vizianagaram being one of the most backward districts in Andhra Pradesh, may I know what the causes are for the delay in obtaining survey observations?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, do you want to respond?

SHRI K.H. MUNIYAPPA: Hon. Deputy-Speaker, this is not related to the current debate. However, we will look into the request of the hon. Member of Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to amend the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

Page1, line 4,--

for "2011"

substitute "2012". (2)

(Shri K.H. Muniyappa)

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page1, line1,--

for "Sixty-second"

substitute "Sixty-third". (1)

(Shri K.H. Muniyappa)

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI K.H. MUNIYAPPA: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14.57 hrs.

MOTOR VEHICLES (AMENDMENT)

BILL, 2012

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): We have to have yet another round of short discussion as some of the hon. Members are yet to speak on the Bill to amend

the Motor Vehicles Act. Therefore, I would request that we may not take up that item today. I would ask it to be listed for Monday. You may kindly take up the discussion under 193 regarding storage of grains to be moved by Shri Sharad Yadav ji.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the House is agreeing on this.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes Sir.

_